# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

**(नरेश बुनकर, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

अपील संख्या :– 07 / 2022
जीसीएमएस नः– 2022 / 205
दायर दिनांक :– 19.12.2022
निर्णय दिनांक :– 30.04.2025

**अनवान**

1– श्री हीरालाल पिता चम्पालाल जाति जाट निवासी रावो का खेड़ा, तहसील कुवारिया जिला राजसमन्द

निगराकार

**बनाम**

1– श्रीमति राधा बाई पत्नि दयाराम जाति जाट निवासी रावो का खेडा, तहसील कुंवारिया
2– शंकर लाल पिता दयाराम जाति जाट निवासी रावो का खेडा, तहसील कुंवारिया
3– कन्नुसिंह पिता बंशीसिंह जाति राजपुत निवासी रावो का खेडा, तहसील कुंवारिया
4– हजारी लाल पिता हरलाल जाति जाट निवासी रावो का खेडा, तहसील कुंवारिया
5– मांगी लाल पिता हजारी लाल जाति जाट निवासी रावो का खेडा, तहसील कुंवारिया
6– सरपंच ग्राम पंचायत महासतियों की मादडी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
7– सरपंच ग्राम पंचायत घाटी तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
8– पंजियन अधिकारी उप पंजीयक कार्यालय कुंवारिया तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
9– किशन सिंह तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत महासतियों की मादडी हाल निवासी डलियाणा
10–बंशी लाल पिता गणेशसिंह जाति राजपुत निवासी निवासी रावो का खेडा, तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा दिनांक 31.03.1991, पट्टा संख्या 38 तत्कालिन ग्राम पंचायत महासतियों की मादड़ी

उपस्थित :–

1– श्री शैलेन्द्रसिंह अधिवक्ता निगराकार

2– श्री रामलाल जाट अधिवक्ता गैरनिगराकार

## –:: निर्णय ::–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि अन्दर हल्के आबादी ग्राम रावो को खेडा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में एक भूखण्ड निम्न पडोसो के मध्य स्थित है –पूर्व में – आम रास्ता, पश्चिम में – घाटी रोड, उत्तर में – आबादी भूमि, दक्षिण में मांगीलाल जी जाट का प्लॉट दिनांक 17.02.2021 करे अनिगराकार संख्या हजारी लाल ने वास्तविक तथ्यों को छपाते हुए मुझ निगरानीकार के साथ छल कारित कर उक्त

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

भूखण्ड का विक्रय ईकरार मुझ निगरानीकार के पक्ष में निष्पादित कर प्रतिफल राशि 5,00,000/— रूपये प्राप्त कर कब्जा सिपुर्द किया। तत्पश्चात् वास्तविक तथ्य बाबत् हजारी लाल के नाम जारी आबादी भूमि का पट्टा सामने आने प मेरे द्वारा हजारी लाल को उक्त प्रकार का तकाज किया गया कि अब तुम भूखण्ड का मेरे नाम पंजियन कैसे करवा ओगे तो हजारी लाल ने अनुमेयीक कब्जा जारी रखने को कहा, इस पर मुझे निगरानीकार द्वारा सम्पुर्ण षड्यंत्र का पता चलने पर उक्त बाबत् एक रिपोर्ट थाना कुंवारिया में देकर उक्त संबंध में दाण्डिक कार्यवाही अनिगरानीकार संख्या 04 व उसके पुत्र अनिगरानीकार संख्या 05 मांगी लाल के विरूद्ध जारी है। यह कि हाल ही कुछ समय पूर्व अनिगरानीकार संख्या 02 शंकर लाल पिता दयाराम उक्त भूखण्ड पर अतिक्रमण करने के आशय से आया और मुझे कहने लगा कि यह प्लॉट खाली कर दो, उक्त प्लॉट का मेरी मां राधी बाई के नाम का पट्टा बना हुआ है जिसकी फोटोप्रति भी मेरे पास है। इस प्रकार जब मुझ निगरानीकार द्वारा पट्टे का राधी बाई के नाम उक्त पट्टे का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त पट्टा पूर्ण रूपेण कुटरचित होकी फर्जी है जो कि प्रथम दृष्ट्या पट्टे को देखने से ही जाहिर हो जाता है। यह कि एक ही भूखण्ड के दो पट्टे एक ही समय के अस्तित्व में नही रह सकते है। उक्त भूखण्ड का राधी बाई के नाम बना पट्टा दिनांक 31.03.1991 पट्टा नम्बर 38 के बारे में जानकारी करवाई गई तो पाया कि उक्त पट्टे संबंधित ग्राम पंचायत रेकार्ड में कोई मिसल ही उपलब्ध नहीं है। आज से कुछ दिवस पूर्व ज्ञात आया कि श्रीमति राधा बाई व शंकर ने हम सलाह हो उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त भूखण्ड का विक्रय अनिगरानीकार संख्या 10 बंशी सिंह से हम सलाह हो उसके पुत्र अनिगरानीकार संख्या 03 कन्नु सिंह के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया । ऐसा विक्रय पत्र विधि की नजर में प्रारम्भ से ही फर्जी होकर शुन्य है चूंकि तो ऐसे फर्जी पट्टे के आधार पर किया गया कोई भी विक्रय अथवा निष्पादित विक्रय पत्र विधि की नजर में प्रारम्भ से ही शुन्य होकर बेअसर है जिससे कन्नु सिंह अथवा उसके पिता को उक्त भूखण्ड पर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है फिर भी कन्नु सिंह व बंशी सिंह उक्त भूखण्ड पर शंकर लाल व राधा बाई के साथ हम सलाह हो अतिक्रमण करने पर आमादा है। राधा बाई के नाम का उक्त पट्टा किस प्रकार फ़र्जी है जिसके आधार आगे वर्णित किये गये है। जिससे राधी बाई के नाम के उक्त फर्जी पट्टे माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा शुन्य घोषित करवाकर निरस्त फरमाया जावे एवं अनिगरानीकारगण को उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार के अतिक्रमण नही करने बाबत् पाबंद फरमाया जावे एवं अनिगरानीकार संख्या 8 ऐसे फर्जी दस्तावेज के आधार पर आईन्दा कोई पंजियन नहीं करे तथा कन्नु सिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र का शुन्य होने बाबत् ईन्द्राज करावें। यह कि राधा बाई व उसके पुत्र शंकर लाल तथा बंशी सिंह व उसके पुत्र कन्नु सिंह ने हम सलाह हो तो फर्जी दस्तावेज तैयार किये है उस बाबत् दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु एक रिपोर्ट पुलिस थाना कुंवारिया पट्टा संख्या 38 दिनांक 31.03.1991 महासतियों की मादडी से क्षुब्ध होकर निगरानी माननीय न्यायालय आपमें निम्न आधारो पर प्रस्तुत है, यह कि राधा बाई के नाम के उक्त कुटरचित फर्जी पट्टा नम्बर 38 दिनांक 31.03.1991 पंचायत महासतियों की मादडी के अवलोकन से जाहिर आता है कि पट्टे पर उपरी भाग पर बने मोनो के नीचे की तरफ के दोनो कोलम में महाातियों की मादडी अंकित नहीं है। जबकि इस दौरान् इसके साथ ही बने पट्टो अन्य पट्टो पर इस स्थान पर महासतियों की मादडी लिखा है जिससे उक्त पट्टा हुट रचित होकर फर्जी पाया जाता है। उक्त कुट रचित फर्जी पट्टे पर कही भी कार्यालय की गोल मोहर नही लगी है जबकि तत्कालिन समय में

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

बने अन्य पट्टो पर उक्त प्रकार की गोल मोहर लगी है। यह कि उक्त कुटरचित फर्जी पट्टे पर जो ग्राम पंचायत की सील लगी है उक्त प्रकार की सील का उपयोग तत्कालिन समय यानि वर्ष 1991 के दौरान् नही होता था क्योंकि उक्त सील के अक्षर साईज में बंडे होकर ज्यादा स्पेस लिये हुऐ है। इस प्रकार की सील वर्तमान् में बनती है। वर्ष 1991 के दौरान् ऐसी सील न तो प्रचलन में थी न ही ऐसी सील का आविष्कार ही हुआ था। जिसकी पुष्टि तत्कालिन समय यानि वर्ष 1991 के दौरान् बने अन्य पट्टो पर लगी ग्राम पंचायत की सील से मिलान करने पर भी होता है कि उस समय छोटे अक्षर तथा कम स्पेसिंग वाली सील का उपयोग कर उक्त फर्जी पट्टा बनाया गया है। यह कि तत्कालिन समय यानि वर्ष 1991 के दौरान् कार्यालय सरपंच की सील में जिला उदयपुर लिखा हुआ था जिसकी पुष्टि तत्कालिन समय लगी सील में जिला उदयपुर का अंकन न होकर केवल पंचायत समिति राजसमन्द ही लिखा है। उक्त फर्जी पट्टे पर तत्कालिन सरवंच अनिगरानीकार संख्या 09 किशन सिंह के हस्ताक्षर भी मुटरचित है जिसकी पहचान/पुष्टि तत्कालिन सरपंच किशन सिंक के समय बने अन्य पट्टो पर किशन सिंह के हस्ताक्षर के मिलान से भी होती है। चूंकि फर्जी पट्टे पर किशन सिंह के हस्ताक्षर तत्कालिन समय में बने अन्य पट्टो पर अंकित किशन सिंह के हस्ताक्षर से पूर्णतय भिन्नता लिये हुऐ है। तत्कालिन सरपंच अनिगरानीकार संख्या 09 किशन सिंह वर्तमान में जीवित है जिससे उक्त तथ्य की प्रष्टि हो सके जिससे उसे पक्षकार बनाया गया है।यह कि उक्त फर्जी पट्टे में अन्त में निचे की तरफ की ईबारत में दिनांक 31.03.1991 का अंकन है। जिसमें भी ओवरराईटिंग कर रखी है। उक्त कुट रचित पट्टे की पंचायत कार्यालय में मिसल भी उपलब्ध नहीं है चूंकि उक्त पट्टा ही फर्जी होने से वस्तुतः ऐसी कोई मिसल संधारित भी नही की जा सकती थी । इस प्रकार बिना मिसल के संधारण किये गये जारी पट्टा वैसे भी विधि की नजर में शुन्य एवं बेअसर है। तत्कालिन समय में जारी अन्य पट्टो की लिखावट व उक्त कुट रचित फर्जी पट्टे की लिखावट में भारी अन्तर है जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा कुटरचित होकर फर्जी है। उक्त फर्जी पट्टे में लिखित ईबारत की लिखावट पतली होकर शार्प है अर्थात् ऐसी लिखावट वाले पेन का अविष्कार ही नही हुआ था जिसकी पूर्ति तत्कालिन समय वर्ष 1991 में बने अन्य पट्टो से होती है जिनमें लिखी ईबारत की लिखावट मोटी होकर ब्लर्ड है यह कि उक्त फर्जी पट्टे को तर्क के रूप में देखा जावे तो भी उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायति राज एक्ट/राज. पंचायत एवं न्याय पंचायत के सामान्य नियम के किसी भी आज्ञापक प्रावाधान की पालना नही की गई है क्योंकि उक्त पट्टा बिना मिसल संधारित किये ही फर्जी तरिके से बनाया हुआ पट्टा है। जबकि उक्त भूखण्ड का एक ही फर्जी तरिके से बनाया हुआ पट्टा है। जबकि उक्त भूखण्ड का एक पट्टा पहले से हजारी लाल जाट के नाम का अस्तित्व में था जिससे भी राधी बाई के नाम उक्त पट्टा विधितः शुन्य होकर नलीटी लिये हुऐ है। यह कि तर्क रूप में फर्जी पट्टे को देखा जावे तो भी उक्त पट्टे की न तो कोई मिसल संधारित की गई प ही राजस्थान पंचायत राज एक्ट के तहत आज्ञापक प्रावधानो की किसी भी रूप में पालना भी नहीं की गई। जिससे ऐसा पट्टा जारी करने का आदेश अशुद्ध अविधिपूर्ण एवं आलोच्य होकर निरस्त होने योग्य है। अनिगरानीकार संख्या 10 बंशी सिंह उसके पुत्र अनिगरानीकार संख्या 03 कन्नु सिंह ने यह जानते हुऐ कि उक्त पट्टा फर्जी है फिर भी उक्त पट्टे का सही के रूप में उपयोग करते हुऐ उक्त भूखण्ड के फर्जी पट्टे का उपयोग करते हुऐ अनिगरानीकार संख्या 01 व 02 के साथ हम सलाह हो उक्त भूखण्ड को कय कर विकय पत्र का पंजियन अनिगरानीकार संख्या 03 के नाम पर करवाया, चूंकि उक्त

अति. जिला कलेक्टर
राजसमन्द

फर्जी पट्टा विधि की नजर में प्रारम्भ से ही शुन्य एवं बेअसर है जिससे ऐसे शुन्य पट्टे के आधार पर निष्पादित विक्रय पत्र भी प्रारम्भ से ही शुन्य है। जिससे अनिगरानीकार संख्या 01 से लगायत 03 को उक्त भूखण्ड संबंधित किसी प्रकार के कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं आधारो पर राधा बाई पत्नि दयाराम के नाम पर बनाये गये पट्टा दिनांक 31.03.1991 पट्टा संख्या 38 ग्राम पंचायत महासतियों की मादडी को शुन्य घोषित कर निरस्त फरमाया जावे। परिणाम स्वरूप कन्नुसिंह के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र स्वतः शुन्य एवं निरस्त माना जावे का आदेश दिया जावें। यह कि वर्ष 1991 के दौरान् उक्त भूखण्ड अनिगरानीकार संख्या 6 के क्षैत्राधिकार में आता था तथा उक्त फर्जी पट्टे पर भी ग्राम पंचायत महासतियों की मादडी अंकित है तथा हाल ही में तकरीबन तीन वर्ष पूर्व गांव रावो का खेडा परिसीमन से नवसृजित पंचायत घाटी में आता है। परन्तु चार्ज अभी तक पंचायत घाटी नही सोंपा गया है फिर भी किसी सम्भावित विधिक आपत्ति के निराकरण स्वरूप भी दोनो पंचायत को जरिये सरपंच पक्षकार बनाया गया है। राधा बाई के नाम का उक्त कुटरचित फर्जी पट्टा दिनांक 31.03.1991 पट्टा संख्या 38 ग्राम पंचायत महासतियों की मादडी जो कि प्रारम्भ से ही शुन्य एवं बेअसर दस्तावेज है जिसकी जानकारी हाल ही में हुई है जिससे ऐसे शुन्य दस्तावेज को निरस्त करवाने की कार्यवाही में अवधि अधिनियम से बाधित नहीं है। फिर भी किसी विधिक आपत्ति के निराकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन फरमाने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अन्य उजरात वक्त बहस निवेदन किये जायेंगे। निगरानी के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि राधा बाई के नाम का उक्त कुटरचित फर्जी पट्टा दिनांक 31.03.1991 पट्टा संख्या 38 ग्राम पंचायत महासतियों की मादडी को शुन्य घोषित फरमाया जाकर निरस्त फरमाया जावें । तथा अनिगरानीकार संख्या 08 को आदेशित फरमाया जावे कि ऐसे किसी शुन्य दस्तावेज के क्रम में कोई दस्तावेज का पंजियन नहीं करे तथा अनिगरानीकार संख्या 01 से लगायत 05 व 10 उक्त भूखण्ड का किसी भी रूप में उपयोग उपभोग नहीं करे व न ही अतिक्रमण करे तथा अनिगरानीकार संख्या 06 व 07 ऐसे फर्जी दस्तावेज की तस्दीक न तो निष्पादित करे, न ही जारी करे व ऐसे शुन्य दस्तावेज के आधार पर कोई हक अधिकारो का सृजन किसी के भी पक्ष में किसी भी रूप में नहीं करे व उक्त पट्टा फर्जी होने का ईन्द्राज अपने कार्यालय में विधिवत् रूप से करे। ताईद में निगरानीकार का शपथ पत्र पेश है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 08 बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 09 द्वारा स्वीकारोक्त जवाब पेश किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 कि और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया कि यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में अनिगरानीकार संख्या 01 के नाम ग्राम पंचायत मादड़ी द्वारा पट्टा संख्या 38, दिनांक 31.03.1991 जारी किया गया और पट्टा जारी दिनांक से अनिगरानीकार संख्या 01 एवं उसके वारिसान के स्वामित्व, आधिपत्य में उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर अनिगरानीकार संख्या 01 द्वार पत्थर की चारों तरफ बाउण्ड्री बना फाटक लगा रखी है और अपनी पशु बांधते आये हैं तथा घास – चारा आदि रखते आये है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 जिस प्रकार से वर्णित की है, उसका सम्बधन

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

अनिगराकार संख्या 01 व 02 का नहीं है। अनिगरानीकार संख्या 01 व 02 को कोई जानकारी हैं। अनिगराकार संख्या 01 व 02 सन् 1991 से निरन्तर पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड पर काबिज चले आ रहे हैं। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 अस्वीकार हैं। निगराकार द्वारा मिथ्या वर्णित कर अनिगराकार श्रीमती राधा बाई के स्वामित्व का पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड अवैध रूप से कब्जा करना चाहता हैं, जिसमें निगराकार को कोई सफलता मिलने की तनिक भी उम्मीद नहीं है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 04 गलत होकर अस्वीकार है। पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कानूनन जारी किया और पिछले 32 वर्षो से अनिगरानी संख्या 01 व 02 काबिज रहे हैं तथा अनिगराकार संख्या 01 द्वारा अनिगराकार संख्या 03 भंवर सिंह उर्फ कन्नु सिंह पिता बंशी सिंह गौड़ निवासी बंजारा बस्ती, रावों का खेड़ा को दिनांक 20.10.2022 को विक्रय किया । उस दिन से अनिगराकार संख्या 03 भंवर सिंह काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वैद्य पट्टा हैं। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 अस्वीकार हैं। ग्राम पंचायत महासतियों की मादड़ी में रेकर्ड नहीं हो इसकी जानकारी हमें नहीं है निगरानी राजनैतिक व्यक्ति होने तथा अपनी पहुच से ग्राम पंचायत से दस्तावेज ही गायब करवा सकता है। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 06 अस्वीकार हैं। विधि सम्मत् पट्टा जारी किया तथा पिछले 32 वर्षो से निरन्तर अनिगराकार संख्या 01 व 02 तत्पश्चात् अनिगराकार संख्या 03 काबिज है तथा चारो और बाउड्री होकर हमारे स्वामित्व, आधिपत्य में है। निगराकार संख्या 05 मांगी लाल द्वारा कोई तथाकथित फर्जी इकरार किया हो जिसका सम्बन्ध हमारे से कदापि नहीं तथा निगराकार द्वारा कलम संख्या 02 में भी अनिगराकार संख्या 04 व 05 धोखाधड़ी की रिपोर्ट देना बताया हैं, जिससे ही स्पष्ट हैं कि निगराकार के साथ अनिगराकार, संख्या 04 व 05 से ली गई राशि प्राप्त करें। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7,8,9,10 अस्वीकार हैं। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 11 अस्वीकार है। निगराकार के साथ अनिगराकार संख्या 04 व 05 के द्वारा धाोखाधड़ी कर पैसा प्राप्त करने से इस हमारे स्वामित्व, आधिपत्य के पट्टेशुदा भूखण्ड को गलत बताना न्याय संगत नहीं है। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 12 अस्वीकार हैं। अनिगराकार संख्या 01 व 02 सन् 1991 से निरन्तर आवासीय भूखण्ड पर स्वामित्व, आधिपत्य रखते आ रहे हैं तत्पश्चात् अनिगराकार संख्या 03 के विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 20.10.2022 से स्वामित्व, आधिपत्य निरन्तर विद्यवान हैं। 32 वर्ष पश्चात् निगरानी करना बिना तथ्यों एवं बिना स्वामित्व के इस प्रकार निगरानी कर न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आने से निगराकार के विरूद्ध भारी कोष्ट से निगरानी खारिज किया जाना आवश्यक हैं। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 13 गलत होकर अस्वीकार हैं। अनिगराकार संख्या 01, 02 व 03 का ही पट्टा संख्या 38 जारी दिनांक 31.03.1991 से निरन्तर स्वामित्व, आधिपत्य हैं। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 14 अस्वीकार हैं। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 15 अस्वीकार हैं। महज अनिगराकार संख्या 01 से 03 एवं 06 से 08 को परेशान करने के लिए पक्षकार बनाया गया है। निगराकार की निगरानी खारिज कर उक्त अनिगराकार को हर्जा खर्चा दिलाया जाना न्याय संगत हैं। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 16 अस्वीकार हैं। निगराकार उक्त पट्टेशुदा आवासीय भूखण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं होने तथा 32 वर्षो पश्चात बिना कोई दस्तावेज निगरानी प्रस्तुत करने से मियाद बाहर होने से निगरानी काबिल खारिज हैं। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 17 ,18 व 19 कानूनी है। निगरानी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 20 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना बताया हैं, जो शपथ पत्र निगरानी के समर्थन में प्रस्तुत किया हैं, जबकि निगराकार को जानकारी है कि

अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द

उसके साथ अनिगराकार संख्या 04 व 05 हजारी लाल व मांगी लाल द्वारा कोई तथाकथित इकरार निगराकार के पक्ष में फर्जीरूपेण किया गया हैं और उक्त दोनो के विरूद्ध पुलिस थाना कुंवारिया में भी तथाकथित इसको लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराना बताया गया हैं। उसके बावजूद भी यह जानकारी होते हुए कि निगराकार के साथ अनिगराकार संख्या 04 व 05 द्वारा धोखाधड़ी की गई हैं। अन्य अनिगराकार का कोई सम्बन्ध नहीं हैं और श्रीमती राधी बाई के नाम पट्टा जारी होकर उनके स्वामित्व, आधिपत्य आबादी भूखण्ड हैं, उसके बावजूद भी न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथान के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की और निगरानी की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में निगरानी के विरूद्ध मिथ्या शपथ पत्र देने के आधार पर न्यायालय से निगराकार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाना न्याय संगत है।

शेष प्रार्थना अस्वीकार होकर निगराकार की निगरानी खारिज फरमाई जावें तथा निगराकर द्वारा मिथ्या तथ्यो के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर अनिगराकार संख्या 01 से 03 एवं 06 से 10 तक को गलत पक्षकार बनाये जाने से निगराकार से हर्जा खर्चा दिलाया जावें तथा निगराकार द्वारा मिथ्या निगरानी मय शपथ पत्र देने से निगराकार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण झूठा शपथ पत्र देने का दर्ज कराया जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस, सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानी पक्ष के अधिवक्ता ने निगरानी मे दर्ज तथ्यो को दोहराया गया। कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलौच्य पट्टा अवैध, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। प्रकरण में विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने जवाब मे दर्ज तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव बहस व उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम पंचायत की मुल पत्रावली तलब की गयी, ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त मुल के आधार पर अनिगराकार संख्या 01 को जारी पट्टा नियानुसार जारी किया गया। अनिगराकार संख्या 06 व 07 ग्राम पंचायत द्वारा भी कोई आपति नही की गयी, न ही बावजूद सुचना के ग्राम पंचायत की और से कोई न्यायालय में उपस्थित आया। तथा अनिगरानीकार संख्या 01 एवं उसके वारिसान के स्वामित्व, आधिपत्य में उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड का विक्रय अनिगरानीकार संख्या 10 बंशी सिंह के पुत्र अनिगरानीकार संख्या 03 कन्नु सिंह के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। उक्त निगरानी से निगराकार का कोई हित प्रभावित नही होने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

30/04/2025

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर
राजसमन्द